न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–33 / 2023

भंवरलाल, ओमप्रकाश, भगाराम पि0 ईशरराम, कौम तारग (आचार्य) निवासी जयमलसर, तह. व जिला बीकानेर

-----प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

----- अप्रार्थी

दावा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री मूलसिंह राठौड वकील प्रार्थी
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

<u>– : निर्णय :–</u>

दिनांक :– 05 सितंबर 2024

1. प्रार्थी के वकील ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि वाके ग्राम जयमलसर उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत जिला बीकानेर के ख0नं0 132 / 1 में 50 बीघा खातेदारी भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम जरिए विरास्तन नामन्तकरण दर्ज अभिलेख हुई। पूर्व में उक्त भूमि हमारे पिता ईश्रराम पुत्र अणदाराम के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि पर हम पीढ़ीयों से काबिज हैं।
2. यह है कि उक्त कृषि भूमि का विरास्तन नामन्तकरण दर्ज करते समय भंवर लाल के स्थान पर भंवरा राम और ओम प्रकाश के स्थान पर ओमाराम व भगाराम के स्थान पर बीरबल राम सहवन से तत्कालीन पटवारी हल्का ने दर्ज कर दिया। जिसे समय रहते हम दर्ज करवाने के हकदार हैं।
3. यह है कि भंवरा राम के स्थान पर भंवर लाल, ओमाराम के स्थान पर ओमप्रकाश व बीरबल के स्थान पर भगाराम का संशोधन करने की कृपा करें।
4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी पैरोकारराज उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत से जवाब चाहा गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।
5. प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, खसरा गिरदावरी की नकल एवं ग्राम पंचायत जयमलसर एवं एक राजपत्रित अधिकारी श्री रामेश्वर लाल व्याख्याता इतिहास द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें भंवरा राम का सही नाम भंवर लाल, ओमाराम का सही नाम ओमप्रकाश व बीरबल का सही नाम भगाराम है। जो शामिल पत्रावली है।

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

ईशरराम अंकित करने की कृपा करावें।

6. प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुसोर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भंवरा राम का सही नाम भंवर लाल, ओमाराम का सही नाम ओमप्रकाश व बीरबल का सही नाम भगाराम है यह एक–एक व्यक्ति के ही नाम है। इन नामों के दो–दो भिन्न व्यक्ति नहीं है। अतः भंवरा राम का सही नाम भंवर लाल, ओमाराम का सही नाम ओमप्रकाश व बीरबल का सही नाम भगाराम, कौम तारग (आचार्य) सा0 जयमलसर तहसील व जिला बीकानेर का संशोधन किया जाता है। उक्तानुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे।

7. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 05.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सॉवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत

सहायक आयुक्त उपनिवेशन * प्रथम–बीकानेर, मु. कोलायत